

# FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

किरम मुकदमा -

गुरलीधर बनाम बनवारी लाल वर्मा

मुकदमा नम्बर - 56 / 2024

तारीख हुक्म

दावा अध्या 53 188 आर टी एक्ट  
हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

07 05 2024

वादी की ओर से श्री भेंवर सिंह चौधरी एडवो ने स्वयं उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम - 1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकलें साधारण तरीके से एव रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जावे। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 14.05.2024 को पेश हो।

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

11.06.2024

दिनांक 14.05.2024 से इकजाई पेशी देने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण ने उपस्थित होकर उक्त प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर विद्वा कर खारिज किए जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील वादीगण को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील वादीगण के निवेदन पर वादपत्र को विद्वा किए जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा वाद पत्र को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

